राजस्थान सरकार

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

आज्ञा–पत्र

मु0 गुलशन बनाम मनीर आदि

पत्रावली संख्या 09/2021 विषय–धारा 223 आर.टी.ए.1955

दिनांक	आज्ञा	वि0वि0
23.06.2022	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 16 (8) व धारा 46 व 151 सीपीसी, नियम 5 एवम आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी पर बहस सुनी गयी । रेस्पो0 अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया कि विधि का सुस्थापित नियम है कि हर अपील योग्य निर्णय व डिक्री की अपील हो सकती है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि द्वारा बाधित होते हुए दो अलग अलग निर्णय व डिक्रीयों जिनमें अलग अलग अनुतोष व अलग अलग पक्षकार है तथा अलग अलग पीठासीन अधिकारियों द्वारा अलग अलग समय में पारित निर्णय व डिक्रीयों को एक ही अपल में समाहित कर एक अपील पेश की है जो खारिज योग्य है । निर्णित डिक्रीयां आपसी सहमति से पारित की गयी है इसलिये समझोता डिक्रीयां धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक अपील योग्य नही है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पेश की गयी है उसमें अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में कहीं भी पक्षकार नही रहा है । निर्णय व डिक्री की अपील इस न्यायालय मे वही प्रस्तुत कर सकता है जो दावे में पक्षकार रहा हो । अगर अपीलांट निर्णय व डिक्री से व्यथीत व प्रभावित हो तथा उक्त निर्णय व डिक्री धोखे व षडयंत्र से प्राप्त की गयी हो तो व्यथित पक्ष को एकमात्र कानूनी उपचार डिक्री को सक्षम सिविल न्यायालय में शुन्य घोषित करावे व अपने हको की घोषणा करावें । अपीलांट द्वारा वादगत कृषि भूमि में अपना हक होना कथन किया है जो तथ्य के प्रश्न है और यह तथ्य साक्ष्य से ही सिद्व किये जा सकते है इसलिये अपीलांट एक नियमित वाद से ही कानूनन अपना हक सिद्व कर सकता है जिसमें सभी पक्षकारों का साक्ष्य लिये जाकर विधि रूप से निर्णय पारित किया जा सकता है । अपीलांट द्वारा जिन निर्णय व डिक्रीयों की अपील पेश की गयी है वह मियाद बाहर है । यह अपील निर्णय व डिक्री के 21 साल बाद पेश की गयी है तथा पूर्व खातेदार गफुर पुत्र ईस्माईल की पोती होना अंकित किया है व अपना हिस्सा पांती लेने हेतु तीन चार बार तारानगर आना बताती है जिससे इन निर्णय व डिक्रियों का ज्ञान होना प्रतीत होता है । अपीलांट स्वप्रथम निर्णय व डिक्री का ज्ञान दिनांक 14.07.2020 को होना कथन करती है उसके बाद दिनांक 05.10.2020 को सहायक कलक्टर तारानगर में अपने हक की घोषणा का दावा दायर करती है । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निर्णय व डिक्री के सभी पक्षकारों को अपील में पक्षकार नही बनाया गया है । अतः सम्पूर्ण कानूनी प्रावधानो के मुताबिक	

अपील अपीलांट की किसी भी सुरत में चलने योग्य नही है अतः अपील अपीलांट की खारिज की जावे ।

अपीलांट पक्ष के अभिभाषक ने रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र के जवाब में अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि अपीलकृत डिक्रीयों के पक्षकार समान है प्रकरण सं0 02/2000 व प्रकरण सं0 368/2010 के सभी समान पक्षकार है तथा इन प्रकरणो में कृषि भूमि खेत ख0न0 390 रोही मिखाला तादादी 26.08 बीघा एवं कृषि भूमि ख0न0 779 तादादी 14.12 बीघा वाके रोही तारानगर की बाबत ही वाद निर्णय हुआ है । वाद सं0 02/2000 का प्रस्तुतीकरण ऐसीएम कोर्ट का कैम्प तारानगर में आयोजित होता रहा है । जहां कोर्ट ने उपखण्ड अधिकारी के ही प्रकरण पर सुनवाई की है । कालान्तर में वाद सं0 368/2010 का प्रस्तुतीकरण उपखण्ड अधिकारी तारानगर में स्थायी कोर्ट हो जाने से सुनवाई की गयी है इस प्रकार दोनो कोर्ट समान कोर्ट है । अपीलांट दोनो प्रकरणों में पारित निर्णय व डिक्रियों में न पक्षकार संयोजित थी न ही उतरदाता की इन डिक्रीयों के पारित किये जाने में किसी भी प्रकार की कोई सहमति व राजीनामा नही था । रेस्पो0 द्वारा हस्तगत डिक्रीयां धोखे व षडयंत्र से प्राप्त की गयी है । रेस्पो0 ने गफुर पुत्र ईस्माईल की पैतृक सम्पति में नसीरदीन का हिस्सा बताये बिना बाला बाला रूप से प्राप्त की गयी साजीसाना डिक्रीयां है । जिनके विरूद्व आपराधिक कार्यवाही भी अमल में ली जा रही हैं । विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येके प्रभावित पक्षकार द्वारा अपील संस्थित की जा सकती है । रेवेन्यु कोर्ट प्रत्येक प्रकार की पारित डिक्री का सक्षम रेवेन्यु अधिकारिता के कोर्ट द्वारा अपील सुनवाई अनुयोग्य है । अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद घोषणात्मक वाद पेश कर रखा है जिसमें डिक्रीयों के निरस्तीकरण बाबत कोई अनुतोष नही चाहा गया है । अपीलांट द्वारा इन निर्णय व डिक्रीयों की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 17.04.2020 को हुई जिस जानकारी के आधार पर कोविड वैश्विक महामारी के चलते न्यायिक कार्यवाही की सुनवाई व रेगुलर कोर्ट कार्यवाही बाधित रही जिस कारण अपील पेश करने में देरी हुई । स्व0 गफुर पुत्र इस्माईल की विधिक प्रतिनिधियो व उतराधिकारियों द्वारा विधि विरूद्व तरिके से प्राप्त की गयी डिक्रीयों की बाबत हस्तगत अपील संस्थित की गयी है इस अपील में पक्षकार संयोजित है और इन्ही के मध्य विवाद निस्तारित होना है। अतः रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 41 नियम 16 (8) व धारा 46 व 151 सीपीसी निरस्त किया जावे ।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज,शपथ पत्रो का अवलोकन किया गया । अपीलांट द्वारा जो अपील पेश कि गयी है वो दो अलग अलग निर्णय व डिक्रीयो की है । जिसमें अलग अलग अनुतोष व अलग अलग पक्षकार है तथा अलग पीठासीन अधिकारियों द्वारा अलग अलग समय में पारित निर्णय व डिक्रीयों को एक ही अपील में समायोजित कर अपील पेश की है । अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार भी नही रहा है । अपीलांट द्वारा जो अपील

पेश की गयी है वो मियाद बाहर है इस अपील में निर्णय व डिक्री 21 वर्ष पूर्व ही हो चुकी है । अपीलांट अभिभाषक को इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने से पहले एक दावा अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये था तथा पक्षकार बनना चाहिये था यदि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दावा पेश नही किया है तो अपीलांट को सक्षम सिविल न्यायालय में डिक्री को शुन्य घोषित करवाया जाना चाहिये था ।

उक्त विवेचन विश्लेषन के आधार पर रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 41 नियम 16 (8) व धारा 46 व 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट की खारिज की जाती है । अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2000 को यथावत रखा जाता है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो ।

(महावीर खराड़ी)

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर